

एन.के. सोढी और एमएम कुमार, न्यायाधीशों के समक्ष

डब्ल्यूएस बॉस गियर्स लिमिटेड, याचिकाकर्ता

बनाम

बिक्री कर न्यायाधिकरण, हरियाणा और अन्य- उत्तरदाता

2002 के सी. डब्ल्यू.पी. संख्या 16039

25 फ़रवरी 2003

हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (1988 का अधिनियम सं.26)- एस.13-बी-हरियाणा जेनेरा 1 बिक्री कर, 1975 अध्याय 1वी-बी, आरआई.28बी-आरएल.28-बी पात्र औद्योगिक इकाइयों को कर के भुगतान में छूट/स्थगन का प्रोत्साहन प्रदान करता है- बिक्री कर के स्थगन का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करने वाली एक सीमित कंपनी - उप आरआई की सीएल (एफ) की अस्वीकृति। (3) के तहत यह अपेक्षा की गई है कि पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करते समय कोई कंपनी स्वैच्छिक कर की चूककर्ता नहीं होनी चाहिए - कंपनी अपना रिटर्न दाखिल करने में विफल रहती है और कर के भुगतान में चूक करती है- केवल इसलिए कि कंपनी ने कर के स्थगन के लाभ के लिए आवेदन किया है, वह कर का भुगतान न करने और रिटर्न दाखिल न करने को उचित नहीं ठहरा सकती है- पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन को अस्वीकार करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई कानूनी- याचिका खारिज की जा सकती है।

यह माना गया कि संरक्षक ने पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन किया था, लेकिन यह केवल तभी दिया जा सकता है जब वह नियमों के नियम 28-बी के उप नियम (3) के खंड (एफ) के अर्थ के भीतर एक 'पात्र औद्योगिक इकाई' हो। एक पात्र औद्योगिक इकाई अधिनियम के तहत स्वैच्छिक कर के भुगतान का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता ने 30 जून, 1999 को समाप्त तिमाही के लिए कर का भुगतान नहीं किया था। यह 30 जून, 1999 को समाप्त तिमाही या किसी अन्य तिमाही के लिए कर का भुगतान न करने और रिटर्न न भरने को केवल इसलिए उचित नहीं

ठहरा सकता क्योंकि उसने कर के स्थगन के लाभ के लिए आवेदन किया था। यह स्थिति होने के कारण, याचिकाकर्ता 30 जून, 1999 को समाप्त होने वाले आदेश के लिए कर के भुगतान में चूक कर रहा था। इसने अपना रिटर्न भी दाखिल नहीं किया था। चूक को पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करते समय और पात्रता/छूट प्रमाण पत्र के नवीकरण के समय भी देखा जाना था। याचिकाकर्ता को पात्रता प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है और यह जारी होने से पहले ही स्वैच्छिक कर के भुगतान में चूक गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता को नियमों के नियम 28-बी के अर्थ के भीतर एक पात्र औद्योगिक इकाई नहीं माना जा सकता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, प्रतिवादियों की कार्रवाई में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

(पैरा 4)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजेश बिंदल

अमोल रतन सिंह, एएजी, हरियाणा, उत्तरदाता नंबर 2 के लिए

न्यायालय का निर्णय

एन.के. सोढ़ी, न्यायाधीश:-

(1) हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) में 8 सितंबर, 1988 को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित 1988 के अधिनियम संख्या 26 द्वारा धारा 13-बी पेश की गई थी और इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार, यदि संतुष्ट है कि राज्य के औद्योगिक विकास के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो राज्य सरकार कर सकती है। उद्योगों के ऐसे वर्ग को ऐसी अवधि के लिए कर के भुगतान से छूट देना और ऐसी शर्तों के अधीन जो निर्धारित की जा सकती हैं। इस प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार ने नियम 28-ए तैयार किया जिसे 17 मई, 1989 को हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975 (संक्षेप में नियम) में पेश किया गया था।

यह नियम 1 अप्रैल, 1988 से लागू हुआ और 31 मार्च, 1997 तक जारी रहना था। इसे 1 अप्रैल, 1997 से 3 जून, 1997 को संशोधित किया गया था और संशोधन में यह प्रावधान किया गया था कि यह उस तारीख तक जारी रहेगा जब तक कि हरियाणा सरकार द्वारा उद्योग विभाग में उद्योग को प्रोत्साहन के लिए नई नीति की घोषणा नहीं की जाती है। हरियाणा सरकार द्वारा 1 अगस्त, 1997 को राज्य में उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति की घोषणा की गई थी। इसलिए, नियम 28-ए 1 अगस्त, 1997 से प्रभावी नहीं हुआ।

(2) 1 अगस्त, 1997 को घोषित नई औद्योगिक नीति को प्रभावी बनाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने नियमों में अध्याय IV-ख जोड़कर नियम 28-ख तैयार किया। यह नियम 18 मई, 1999 को नियमों में सम्मिलित किया गया था और यह 1 अगस्त, 1997 से लागू हुआ और यह उस तारीख को समाप्त होना था जिस दिन हरियाणा सरकार द्वारा उद्योग विभाग में उद्योग को प्रोत्साहन देने की नीति समाप्त/संशोधित की जाती है। हम वर्तमान मामले में इस नियम से चिंतित हैं। इस नियम में पात्र औद्योगिक इकाइयों को कर के भुगतान को स्थगित करने के लिए छूट के प्रोत्साहन का प्रावधान है। "पात्र औद्योगिक इकाई" को नियमों के नियम 28-बी के उप-नियम (3) के खंड (एफ) में परिभाषित किया गया है और यह निम्नानुसार है:-

"(च) "पात्र औद्योगिक इकाई" का अर्थ है-

(i) एक नई औद्योगिक इकाई, या मौजूदा इकाई का विस्तार या विविधीकरण, जो-

(i) अधिनियम के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है;

(इल) एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है जहां राज्य या केंद्र सरकार के पास 51% या अधिक शेयर हैं,

(iii) उद्योग विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित उद्योगों की नकारात्मक सूची में शामिल नहीं है;

1. अधिनियम की धारा 13 के तहत छूट का लाभ नहीं उठा रहा है या लाभ नहीं उठाया है;

1. हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973/केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के तहत स्वैच्छिक कर/अतिरिक्त मांग

का चूककर्ता नहीं होना चाहिए, जो अंतिम हो गया है, दोनों पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने और पात्रता/छूट प्रमाण पत्र के नवीकरण के समय ।

(VI) कृषि उपयोग को गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों से भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए अनुमति प्राप्त की है।

(ii) संचालन समिति द्वारा अनुशंसित एक रुग्ण औद्योगिक इकाई जो बिक्री कर के भुगतान से छूट या कर के स्थगन के रूप में राजकोषीय राहत प्रदान करने के लिए सिफारिश की गई है।

नियम 28ख के उप-नियम (5) और उप-नियम (6) के प्रासंगिक भाग, जिनके साथ हम संबंधित हैं, भी संदर्भ की सुविधा के लिए यहां पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:—

(5) (क) इस नियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, कर छूट का लाभ तालिका-I के अनुसार, नई इकाई के साथ-साथ विविध/विस्तारित इकाई के संबंध में तालिका II और III के अनुसार छूट या पात्रता प्रमाण पत्र रखने वाली पात्र औद्योगिक इकाई, जैसा भी मामला हो, को दी जाएगी। वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से या पात्रता/छूट प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से विभिन्न जोनों में वर्ष-दर-वर्ष की अवधि के लिए, जैसा भी विकल्प चुना जा सकता है, और पात्रता/छूट प्रमाण पत्र जारी करने से पहले एक बार अनुमति दिए जाने के विकल्प में परिवर्तन किया जा सकता है, बशर्ते कि आवेदन के लंबित रहने के दौरान सरकार को नियमित रूप से कर एकत्र और भुगतान किया गया हो, निम्नानुसार है:-

TABLE 1

(6) (क) प्रत्येक पात्र औद्योगिक इकाई, जो इस नियम के अधीन लाभ प्राप्त करने की इच्छुक है, वाणिज्यिक उत्पादन शुरू

होने की तारीख या इस नियम के लागू होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को उसमें उल्लिखित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ तीन प्रतियों में फार्म एस.टी.70क में आवेदन करेगी। जो भी बाद में हो। यदि समय के भीतर प्राथमिकता नहीं दी जाती है तो किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। के साथ एक आवेदन यदि आवेदक इस संबंध में दिए गए अवसर पर इसे पूरा करने में विफल रहता है, तो उसके साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों सहित अपूर्ण या गलत विवरण ों को नहीं माना जाएगा:

बशर्ते कि लघु उद्योगों के मामले में 30 दिनों तक और मध्यम/बड़े पैमाने के उद्योगों के मामले में 90 दिनों तक के विलंब को संबंधित कॉर्समिति द्वारा दर्ज किए जाने वाले विशिष्ट कारणों के लिए माफ किया जा सकता है

(ख) लघु स्तर की इकाइयों के आवेदनों पर निचले स्तर की स्क्रीनिंग समिति द्वारा और मध्यम /बड़े पैमाने की इकाइयों के आवेदनों पर उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा विचार किया जाएगा:

(ग) (j) तक-----”

(3) हमारे समक्ष याचिकाकर्ता एक सीमित कंपनी है जिसने हरियाणा राज्य में गुड़गांव जिले के सिकंदरपुर (बड़ा) में ऑटोमोबाइल पार्ट्स के निर्माण के लिए एक नई औद्योगिक इकाई स्थापित की है। नियमों के नियम 28-बी (6) (ए) के अनुसार, याचिकाकर्ता ने 13 अगस्त, 1999 को बिक्री कर के स्थगन का लाभ उठाने के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया। नियमों के नियम 28-बी (5) (ए) के अनुसार इस विकल्प का प्रयोग किया गया था। आवेदन पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, गुड़गांव द्वारा कार्रवाई की गई थी और 20 मई, 2000 को आयोजित अपनी बैठक में उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा इस पर विचार किया गया था। समिति ने पाया कि याचिकाकर्ता ने 31 मार्च, 1999 तक अपना बिक्री कर रिटर्न दाखिल किया था और उस तारीख तक कर का भुगतान किया था, लेकिन इसने 30 जून, 1999, 30 सितंबर, 1999

और 31 दिसंबर, 1999 को समाप्त होने वाली अगली तिमाहियों के लिए अपने तिमाही रिटर्न दाखिल नहीं किए थे। यह भी देखा गया कि इन तिमाहियों के लिए कर का भुगतान भी नहीं किया गया था। इकाई को तीन तिमाहियों के लिए स्वैच्छिक कर के भुगतान में चूक में पाया गया था और इसलिए, इसने इकाई को कर स्थगन के लाभ का दावा करने के लिए अयोग्य माना। नतीजतन, पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इस आशय का एक पत्र याचिकाकर्ता को हरियाणा के उद्योग निदेशक से दिनांक 11 जुलाई, 2000 के पत्र के अनुसार प्राप्त हुआ था। न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित महसूस कर रहा हूं . उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी याचिकाकर्ता ने दायर की अपील बिक्री कर अधिकरण, हरियाणा के समक्ष जिसे 1 फरवरी, 2001 को खारिज कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से 31 मार्च, 1999 तक अपना बिक्री कर रिटर्न दाखिल किया था और उन तिमाहियों के लिए कर का भुगतान किया था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि उसने पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से बिक्री कर को स्थगित करने का विकल्प चुना, न कि उस तारीख से जब यह वाणिज्यिक उत्पादन में चला गया था। ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता ने कुछ तिमाहियों के लिए कर के भुगतान में चूक की थी और इसलिए, वह उक्त प्रावधान का लाभ उठाने के लिए अयोग्य हो गया था। इन आदेशों के खिलाफ ही संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान याचिका दायर की गई है।

(4) हमने पक्षों के वकीलों को सुना है और हमारा मानना है कि रिट याचिका खारिज किए जाने के लायक है। 'पात्र औद्योगिक इकाई' को नियमों के नियम 28-ख के उप-नियम (3) के खंड (एफ) में परिभाषित किया गया है। इसके खंड (V) में यह स्पष्ट किया गया है कि पात्र औद्योगिक इकाई को पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करते समय और हकदारी/छूट प्रमाणपत्र के नवीकरण के समय अधिनियम या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत स्वैच्छिक कर के भुगतान का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। हमारे समक्ष मामले में, याचिकाकर्ता ने 31 मार्च, 1999 को समाप्त तिमाही तक अपना रिटर्न दाखिल किया था और उस तारीख तक कर का भुगतान किया था। पक्षकारों का यह सामान्य मामला है कि 30 जून, 1999, 30 सितंबर, 1999 और 31 दिसंबर, 1999 को समाप्त होने वाली अगली तिमाहियों के लिए याचिकाकर्ता द्वारा न तो कोई रिटर्न और न

ही कोई कर का भुगतान किया गया था। श्री राजेश बिंदल, अधिवक्ता का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता ने नियमों के नियम 28-बी के लागू होने के 90 दिनों के भीतर आवेदन किया है, पात्रता प्रमाण पत्र >देने के लिए उसके आवेदन को उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में नियमों के नियम 28-बी के उप-नियम (6) (ए) का हवाला दिया। हम इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता ने पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन किया था, लेकिन यह केवल तभी दिया जा सकता है जब यह (याचिकाकर्ता) नियमों के नियम 28-बी के उप-नियम (3) के खंड (एफ) के अर्थ के भीतर एक 'पात्र इकाई' था। जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, एक पात्र औद्योगिक इकाई को अधिनियम के तहत स्वैच्छिक कर के भुगतान का चूककर्ता नहीं होना चाहिए था। यह अवधि उस तारीख से पहले की है जिस दिन नियम 28-बी अधिसूचित किया गया था। यह तर्क कि याचिकाकर्ता बिक्री कर स्थगन का दावा कर रहा था और इसलिए, कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं था, भी योग्यता से रहित है क्योंकि जब 1 अगस्त, 1997 से 18 मई, 1999 को नियम 28-बी पेश किया गया था, तो याचिकाकर्ता को (ख) सरकार ने 30 जून, 1999 को समाप्त तिमाही के लिए रिटर्न दाखिल किया है और उक्त तिमाही का कर भी जमा करना चाहिए था, जो वह ऐसा करने में विफल रहा। 18 मई, 1999 से पहले यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि ऐसा कोई नियम लागू किया जाएगा। याचिकाकर्ता 30 जून, 1999 को समाप्त तिमाही या किसी अन्य तिमाही के लिए कर का भुगतान न करने और रिटर्न दाखिल न करने को केवल इसलिए उचित नहीं ठहरा सकता क्योंकि उसने कर के स्थगन के लाभ के लिए आवेदन किया था। इस स्थिति के कारण, याचिकाकर्ता 30 जून, 1999 को समाप्त तिमाही के लिए कर के भुगतान में चूक कर रहा था। इसने अपना रिटर्न भी दाखिल नहीं किया था। चूक को पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करते समय और पात्रता/छूट प्रमाण पत्र के नवीकरण के समय भी देखा जाना था। याचिकाकर्ता को पात्रता प्रमाण पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है और यह जारी होने से पहले ही स्वैच्छिक कर के भुगतान में चूक गया था। इसलिए, याचिकाकर्ता को नियमों के नियम 28-बी के अर्थ के भीतर एक पात्र औद्योगिक इकाई नहीं माना जा सकता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, प्रतिवादियों की कार्रवाई में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

5). निष्कर्ष निकालने से पहले, हम **परफेक्ट पेन प्राइवेट लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2001) 122 STC 533** में इस न्यायालय के एक खंडपीठ के फैसले का उल्लेख कर सकते हैं, जिसे याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अपनी प्रस्तुतियों के समर्थन में उद्धृत किया था। हमने इस निर्णय का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और पाया है कि यह विभिन्न तथ्यों पर है और हमारे सामने शामिल मुद्दा उस मामले में खंडपीठ के समक्ष नहीं था। यह निर्णय किसी भी तरह से याचिकाकर्ता के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

6). नतीजतन, रिट याचिका विफल हो जाती है और खर्च के बारे में बिना किसी आदेश के इसे खारिज कर दिया जाता है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

अंबाला, हरियाणा

